

प्रेषक,

एस०पी० गोयल
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 30 सितम्बर, 2026

विषय: “रिफॉर्म उत्सव” (Reform Utsav) को पीपुल्स प्लान कैम्पेन (PPC) के साथ एकीकृत करते हुए दिनांक 02 अक्टूबर, 2026 को ग्राम सभाओं में सुधारात्मक पहलों के प्रचार-प्रसार एवं उनके ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) में समावेशन।

महोदया/ महोदय,

कृपया पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं रिफॉर्म से सम्बन्धित 06 प्रमुख मंत्रालयों/ विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र संख्या D.O. No. M-11015/355/2026-CB दिनांक 22 सितम्बर, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नागरिक केन्द्रित सुधारों एवं विभिन्न जनकल्याणकारी पहलों के सम्बन्ध में जन-जागरूकता, जनभागीदारी तथा स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “रिफॉर्म उत्सव” को पीपुल्स प्लान कैम्पेन (PPC)- “सबकी योजना सबका विकास” के साथ एकीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

दिनांक 02 अक्टूबर, 2026 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं की बैठकों में नागरिकों के साथ विभिन्न सुधारात्मक पहलों पर संवाद, उनके लाभों की जानकारी तथा स्थानीय स्तर पर आवश्यक कार्यों की पहचान हेतु प्रभावी मंच के रूप में उपयोग किया जाना है, जिसके सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

(1) ग्राम पंचायत में “रिफॉर्म उत्सव” का आयोजन-

दिनांक 02 अक्टूबर, 2026 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में “रिफॉर्म उत्सव” को पीपुल्स प्लान कैम्पेन के साथ समन्वित करते हुए ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाए।

(2) विभागवार सुधारात्मक पहलों का प्रचार-प्रसार-

ग्राम/ खण्ड/ जनपदस्तरीय अधिकारियों/ कर्मियों द्वारा ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभाग कर उनके विभाग से संचालित प्रमुख सुधारों/ योजनाओं एवं नागरिक सेवाओं से सम्बन्धित जानकारी को सरल, स्पष्ट एवं स्थानीय भाषा में ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए एवं इस हेतु फ्लिप चार्ट, पोस्टर, IEC सामग्री, लघु वीडियो/ फोटो एवं अन्य उपयुक्त माध्यमों का उपयोग किया जाए।

(3) विभागवार नोडल अधिकारी-

“रिफॉर्म उत्सव” एवं “पीपुल्स प्लान कैम्पेन (PPC)” के एकीकरण हेतु ग्राम्य विकास/ कृषि/ सिंचाई एवं जल संसाधन/ राजस्व/ खाद्य एवं रसद/ नगर विकास/ नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/ दिव्यांगजन सशक्तीकरण/ महिला एवं बाल विकास/ चिकित्सा शिक्षा/ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा विभाग आदि द्वारा जनपद/ खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारियों को नामित करते हुए विभागीय समन्वय से ग्राम पंचायतों में जागरूकता सम्बन्धित समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(4) ग्राम पंचायत विकास योजना से समन्वय-

ग्राम सभा के दौरान नागरिकों से प्राप्त सुझावों, स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को चिन्हित करते हुए, जहां उपयुक्त हो, उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में सम्मिलित किया जाए तथा सम्बन्धित विभागों की योजनाओं के साथ उनका अभिसरण (Convergence) सुनिश्चित किया जाए।

(5) अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टिंग-

ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित गतिविधियों, जनभागीदारी, उसमें प्राप्त सुझावों तथा ग्राम सभा में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के फोटोग्राफ/ वीडियो एवं आवश्यक अभिलेखों सहित अभिलेखीकरण हेतु सभासार ऐप्लीकेशन के साथ पंचायत निर्णय ऐप का उपयोग एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों के सहयोग से दिनांक 02 अक्टूबर, 2026 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में "रिफॉर्म उत्सव" को पीपुल्स प्लान कैम्पेन के साथ प्रभावी रूप से एकीकृत करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागों के कर्मियों/ अधिकारियों का ग्राम सभा में प्रतिभाग सुनिश्चित कर विभागीय सुधारात्मक पहलों के विषय में जागरूक करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस० पी० गोयल)

मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, पंचायती राज मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, ग्राम्य विकास/ कृषि/ सिंचाई एवं जल संसाधन/ राजस्व/ खाद्य एवं रसद/ नगर विकास/ नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/ दिव्यांगजन सशक्तीकरण/ महिला एवं बाल विकास/ चिकित्सा शिक्षा/ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 4- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०।
- 6- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र०।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ०प्र०।
- 8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 9- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ०प्र०।
- 10- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०।
- 11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ०प्र०।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रविन्द्र)

प्रमुख सचिव।

29/9/2026